87

II/निग०/2018/0136

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियार सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

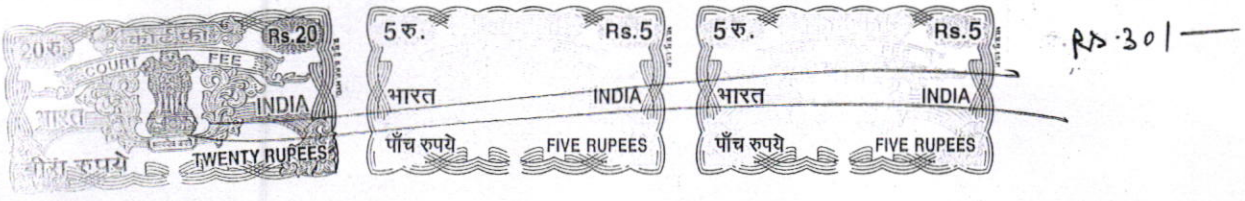

Rs 30/—

प्यारेलाल कुशवाहा तनय श्री बोइई उर्फ भरोसा कुशवाहा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सिलपरी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

.....**निगरानीकर्ता**

बनाम

हरेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड कमांक-15 बरा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

.....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, के प्रकरण कमांक-314/अ-74/2016-17 आदेश दिनांक-01.12.2017,

---

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण निम्नानुसार हैः-

1. यह कि भूमि आराजी नं0 45/1 रकवा 0.372हे. स्थित ग्राम सिलपरी पटवारी हल्का लक्ष्मणपुर सर्किल गिर्द तहसील हुजूर के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता एवं उसके भाई श्री गणेश कुशवाहा संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व अभिलेख थे। उक्त भूमि रतहरा से सिल्परा रिंगरोड से लगी हुयी है, व निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के भाई श्री गणेश कुशवाहा का बटबारा हो गया था जिसमें रिंगरोड से लगी दोनों भाईयों ने भूमि का बटबारा किया था व दक्षिण तरफ निगरानीकर्ता व उत्तर तरफ निगरानीकर्ता के भाई श्री गणेश कुशवाहा को भूमि हिस्से में प्राप्त हुयी

प्यारे लाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/136

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 314 अ 74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01–12–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 314 अ 74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01–12–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है क्योंकि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 7० के अंतर्गत पारित करते हुये नक्शा तरमीम किया है, जिसके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि	

ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य